

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4485**  
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।  
29 श्रावण, 1947 (शक)

**राज्यीय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान  
प्रयोगशालाओं हेतु अधिसूचना**

**4485. श्री शाहू शहाजी छत्रपती:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79क के अंतर्गत सभी राज्यीय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक' के रूप में अधिसूचित किया है और यदि हाँ, तो अधिसूचित प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सभी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को धारा 79क के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है और यदि हाँ, तो उनकी अधिसूचना में देरी के क्या कारण हैं;
- (ग) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79क के अंतर्गत किसी प्रयोगशाला को 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक' के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रयुक्त मानदंडों या मानकों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार निजी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में शामिल करने या मान्यता देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और
- (ङ) देशभर में अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षकों की पर्याप्त भौगोलिक और संस्थागत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) से (ङ):** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000) की धारा 79क के अनुसार, केन्द्र सरकार, किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर विशेषज्ञ राय प्रदान करने के प्रयोजनार्थ के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग, निकाय या एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है। अब तक, केन्द्र और राज्य सरकारों की 18 प्रयोगशालाओं को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में अधिसूचित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में अधिसूचित प्रयोगशालाओं की पूरी सूची अनुबंध-1 में दी गई है

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा तैयार की गई योजना में अधिसूचना के मानदंड और मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं

- i. अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आईएसओ/आईईसी 17025) (परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं की क्षमता हेतु सामान्य आवश्यकताओं पर मानक) अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर एक उचित प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की उपलब्धता और डिजिटल साक्ष्य पर उनकी समग्र क्षमता और विशेषज्ञ राय प्रदर्शित करने के लिए उचित अनुभव।
- ii. आईएसओ/आईईसी 27037 में परिभाषित अभ्यास (सूचना प्रौद्योगिकी पर एक मानक - सुरक्षा तकनीक - डिजिटल साक्ष्य की पहचान, संग्रह, अधिग्रहण और संरक्षण के लिए दिशानिर्देश)।

- iii. डिजिटल फोरेंसिक में तकनीकी, कुशल पेशेवर जनशक्ति की उपलब्धता, लाइसेंस प्राप्त दूत्स और उपकरण, इस तरह के मूल्यांकन को करने के लिए उपयुक्त वातावरण की उपलब्धता।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की अधिसूचना के लिए एक योजना विकसित की है जिसमें आवेदन जमा करने के बाद प्रयोगशाला द्वारा मूल्यांकन शामिल है। इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र एमईआईटीवाई वेबसाइट पर उपलब्ध है। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई भी आवेदक विभाग, निकाय अथवा एजेंसी, जो इस योजना में निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करता है, अपेक्षित आवेदन जमा कर सकता है।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध- ।

### आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79क के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में अधिसूचित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की सूची

1. कंप्यूटर फोरेंसिक प्रभाग, गोवा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, गोवा पुलिस विभाग, गोवा
2. साइबर फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य परीक्षक प्रयोगशाला (सीएफ और डीईईएल), कोलकाता - पश्चिम बंगाल
3. साइबर फोरेंसिक प्रभाग, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल), तिरुवनंतपुरम, केरल
4. क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल), धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश
5. डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला, साइबर रक्षा केंद्र, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधी नगर, गुजरात
6. फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय, गांधी नगर, गुजरात
7. क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल), सूरत, गुजरात
8. साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, वायु सेना साइबर समूह, नई दिल्ली
9. साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन), नई दिल्ली
10. साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, नौसेना साइबर समूह, नई दिल्ली
11. साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, सेना साइबर समूह, नई दिल्ली
12. कंप्यूटर फोरेंसिक और डाटा माइनिंग प्रयोगशाला, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
13. फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, रोहिणी, नई दिल्ली
14. फोरेंसिक विंग लैब, डिफेंस साइबर एजेंसी (डीसीवाईए), नई दिल्ली
15. राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल), फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय, पुलिस विभाग, बैंगलोर, कर्नाटक
16. फोरेंसिक विज्ञान विभाग, चेन्नई, तमिलनाडु
17. केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद, तेलंगाना
18. तेलंगाना राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (टीएसएफएसएल), हैदराबाद, तेलंगाना

\*\*\*\*\*